

~~पत्रावली दिनांक 11/5/12 को न्यायालय हाजा में पेश हो
नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः
पत्रावली दिनांक 11/5/12 को न्यायालय हाजा में पेश हो~~

11/5/12

पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
पक्षकारान् की रण
नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः
पत्रावली दिनांक 11/5/12 को न्यायालय हाजा में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर)

26/7/12

बकुलाय करीकिन उप-प.ओ.
नाहब पो. उदयपुर
पत्रावली दिनांक 10/7/12
को पेश हो।

10/10/12

बकुलाय करीकिन उप-प.ओ.
नाहब पो. उदयपुर
पत्रावली दिनांक 5/12/12
को पेश हो।

DR-126
25/11/18

5/12/12

वकील उदयपुर
पत्रावली दिनांक 04/05/12
को न्यायालय में पत्रावली दिनांक 04/05/12
को पेश हो। राजेश
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर)

2/2/18

वकील उदयपुर उदयपुर
को न्यायालय में पत्रावली दिनांक 04/05/12
को पेश हो। राजेश
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर)
S DOK